फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर

अम्मीलाल पुत्र रामप्रताप जाति जाट निवासी 4 ई.ई.ए पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

बनाम

सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर।

किस्म निगरानी : नियम 30 (नगर विकास न्यास अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों) के अंतर्गत

GCMS No. 2015/00052

अपील संख्या 11/2015

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं॰ व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05.06.2024	पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह अपील सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर भूमि नियमन के आवेदन को निरस्त करने के आदेश क्रमांक नियमन/2015/510 दिनांक 07.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है। अभिभाषक निगरानीकार ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकर्त्ता ने एक भूखण्ड संख्या 15 वाके चक 5 ई छोटी के मुरब्बा नम्बर 19 के किला नंबर 4 में स्थित है, जिसका साईज 67.5X30 है। उक्त भूखण्ड निगरानीकर्त्ता का खरीदशुदा भूखण्ड है। मौके पर बिजली पानी का कनेक्शन लिया हुआ है। निगरानीकार परिवार सहित उक्त भूखण्ड पर निवास करता है। फिर भी नगर विकास न्यास के द्वारा गलत एवं गैर–कानूनी तरीके से पहले से स्वीकृत लेआउट में अपने क्षेत्राधिकार से हट कर आबाद मकानों पर पार्क दर्शाने का आदेश दिया है, जो पूर्ण रूप से गलत एवं गैर कानूनी एवं क्षैत्राधिकार विहिन होने के कारण निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने दौराने बहस कथन किया कि निगरानीकार ने वादग्रस्त भूमि का नियमन हेतु आवेदन किया था। उक्त नियमन हेतु आवेदित भूखण्ड स्वीकृत ले–आउट प्लान में पार्क का भाग होने के कारण नियमन नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें। हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख एवं उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। निगरानीकर्त्ता की नियमन हेतु आवेदित भूखण्ड नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के स्वीकृत ले–आउट प्लान में पार्क का भाग होने के कारण सचिव नगर विकास न्यास श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 07.10.2015 उचित प्रतीत होता है। अतः सचिव नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर के निगरानीधीन आदेश दिनांक 07.10.2015 में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझतें। अपील अपीलांट्स इसी स्तर पर खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय यथावत रखा जाता है। तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 05.06.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 5/6/24 (वंदना सिंघवी) संभागीय आयुक्त बीकानेर	